Unit-3 Topic-I

Constitutional Provision and education

संवैधानिक प्रावधान और शिक्षा

Study of constitution especially the preamble for the Fundamentals Right, Duties, and Directive Principles of state Policies. मौलिक अधिकारों के लिए भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना का अध्ययन और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त एवं मौलिक कर्तव्य।

Provision -	प्रावधान
Preamble	प्रस्तावना
Fundamental Rights	मौलिक अधिकार
Fundamental Rights	मौलिक अधिकार
Fundamental Duties	मौलिक कर्तव्य

Directive Principles of state policy
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (सिद्धांत)

Question: → भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार पर प्रकाश डालें?

Answer:— किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से संचालन करने के लिए नियम एवं शर्तों का होना बहुत ही है। जिसे संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश या राजनीति के लिए

रीढ़ होता है, इसके बिना सही ढंग से शासन की व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान केंद्र और राज्यों को सही दिशा-निर्देशन करने वाली एक दस्तावेज है, इसमें विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के लिए नियम एवं शर्तें निहित रहती है।

भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई० को हुई थी। सभा ने 26 नवम्बर 1949 ई० को संविधान को अंगीकार कर लिया था तथा 26 जनवरी 1950 ई० से भारत का संविधान लागू हुआ। 14 अगस्त 1947 ई० को हुई संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हा थे। उनके देहावसान के बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना —

26 नवम्बर 1949 ई० को भारत के जनतन्त्रात्मक संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना संविधान का मूल अंग होता है। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है।

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीति

न्याय, विचार की अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त
करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की
गरिमा, और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित
करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़
संकल्प होकर अपनी इस संविधान में
आज दिनांक 26 November 1949 ई०
(मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, 2006
विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित
करते है।

संविधान की प्रस्तावना में भारतीय
जनतंत्र का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है
इसमें भारत के लोग, लोकतंत्रात्मक, जनहित
जनहितकारी गणराज्य की स्थापना करते
इस लोकतंत्र का प्रमुख आधार न्याय, स्वतंत्रता
समानता एवं बन्धुत्व है जिन्हे व्यवहारिक रूप
देने के लिए भारत के लोग कटिबद्ध है।

संविधान में 42वें संशोधन
द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र
की एकता और अखण्डता शब्द प्रस्तावना
में जोड़ दिये गये हैं। इन शब्दों को जोड़
जाना समय की माँग थी। देश में साम्प्रदायिकता
साम्प्रदायिकता, जातीयता सिर उठा रही थी
देश की अखण्डता के समक्ष चुनौती
थी।

Fundamental Rights – मौलिक अधिकार →

हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है।

नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए तथा उनकी सुखी जीवन प्रदान करने के लिए भारतीय नागरिकों को छः मूल अधिकार प्रदान किया गया है जो निम्न है।

1. समानता का अधिकार – Right to Equality –

– भारतीय संविधान के अनुसार सरकार भारत में किसी को कानून के सामने विशेष रूप में नहीं मानती है। किसी भी व्यक्ति का पद या दर्जा चाहे जो भी हो लेकिन कानून के सामने सब बराबर है और इसी को कानून का राज कहा जाता है जो इस प्रकार है।-

→

(अ) कानून के समक्ष सभी एक समान — अनुच्छेद 14 के अनुसार
(ब) उपाधियों का अन्त — अनुच्छेद 18
(स) अस्पृश्यता का निषेध — अनुच्छेद 17
(द) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध — अनुच्छेद-15
(य) सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता — अनुच्छेद - 16 में

2. स्वतंत्रता का अधिकार — Right to Freedom — स्वतंत्रता का अर्थ बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ है कि हमारे मामलों में कोई दखल न करे, न सरकार, न व्यक्ति। समाज में रहते हुए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई हमें आदेश न दे कि आप यह करें वह करें। इसलिए भारतीय संविधान में हर एक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएँ दी गई है। जो इस प्रकार है।

(अ) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। — अनुच्छेद - 14
(ब) शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता — अनुच्छेद - 19
(स) देश में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता — अनुच्छेद - 19
(द) संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता — अनुच्छेद - 18
(य) देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता

(घ) कोई भी काम करने, व्यवसा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता।

3. शोषण के खिलाफ अधिकार - Right Against exploitation) —

समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के बाद संविधान ने शोषण के अधिकार को महत्वपूर्ण माना है। अर्थात कोई भी नागरिक किसी नागरिक का शोषण अर्थ, धर्म, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक व्यापारिक, जाति वर्ग भेद ~~के~~ एवं लिंग के आधार नहीं करेगा। इसके तहत निम्न बातें स्पष्ट किया गया है।

(क) 14 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों-बच्चियों को जोखिम भरे कामों, कारखानों, खदानों एवं अन्य खतरनाक कामों नौकरियों, घरेलू कामों पर नहीं लगाया जायेगा।

(ख) किसी भी से जबरन काम कराने एवं बेगार रखने का निषेध है।

(ग) संविधान के अनुसार किसी जाति का अवैध व्यापार निषेध है। इसमें विशेष कर महिलाएँ, जिनका अनैतिक कामों के लिए शारीरिक शोषण किया जाता है। पुरी तरह से निषेध किया गया है।

4. - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - Right to freedom of Religion -

भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक धर्म एवं सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ किसी भी धर्म आधिकारिक